(342)

सं0-1475/XV-2/01(29)/2009

अरूण कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग– 02 देहरादून, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011:

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–28 आयोजनागत (सामान्य) अन्तर्गत 10–दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण (सामान्य) वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1297–98/लेखा–प्रस्ताव दुग्धशाला सु0यो0पत्रा0/2011–12, दिनांक 17–11–2011 एवं पत्र संख्या 1334/लेखा– दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण/2011–12, दिनांक 13–12–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में डेरी विकास विभाग को आयोजनागत पक्ष में दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण योजना हेतु ₹ 40.00 लाख (₹ चालीस लाख) मात्र की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन किया जाये।
2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न किया जाय।
3. सभी कार्यों का जनपदवार वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी आपके द्वारा तत्काल कर दिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ही किया जाय।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्य उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमोदित निर्माण एजेन्सी द्वारा करवाया जायेगा। साथ ही राशि का तत्काल आहरण कर सम्बन्धित जनपदीय दुग्ध संघों को उपलब्ध कराया जाय।
6. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल चालू एवं पूर्व अनुमोदित कार्यो/मदों पर ही व्यय की जाय तथा किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जो योजना में स्वीकृत नही है।
7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31–03–2012 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक भौतिक प्रगति सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में

2/–

किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

9. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन व्यय की सूचना कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

10. स्वीकृत धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कार्यों के लिये किया जाये।

11. कोषागार में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकन करना सुनिश्चित करेंगे।

12. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीध्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मॉग/पुर्नविनियोग के समय सही निर्णय लिया जा सके।

2–उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2404–डेरी विकास–00–102–डेरी विकास परियोजनायें–00– आयोजनागत–10– दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

3–यह आदेश प्रमुख सचिव, (वित्त) के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31–3–2011 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
सचिव।

संख्या : 1475/XV-2/01(02)2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डालायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
5. निजी सचिव–मंत्री, डेरी विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।